

घे घड़ी, थूली थड़ी, बड़कू रोटलो खाई नी डोंगरे सड़ी



जनजाति क्षेत्र के प्यारे किसान भाइयों, बहनों, संगठन के सदस्यों, स्वराज मित्रों, प्यारे बच्चों जय गुरु !!
आने वाली फसल के लिए शुभकामनाएं, जीवन के लिए शुभकामनाएं और प्रकृति की जो सीगात हमें मिलती है वह निरंतर मिलती रहे उसके लिए शुभकामनाएं। मैं इस बार बातें पत्रिका द्वारा संवाद में आपसे दो चर्चाएं करना चाहूंगा। जब पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही थी कि परिवर्तन में परिवर्तन के लिए क्या उपाय है और किस तरीके से किया जाए और हर सर्वे, हर अध्ययन यह बताता है कि केवल मात्र जनजाति क्षेत्र, हमारा समुदाय और हम प्रकृति की सुरक्षा ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं बनिस्पत बाजार के साथ ही हम प्रकृति को नुकसान भी कम पहुंचाते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की और खुशी की बात है और इसके लिए आप और हम सभी बंधाई के पात्र भी है कि हमने इस बदलते परिवेश में भी इसको बचा के रखा है परंतु हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात भी है कि अगर हम हमारे पीढ़ियों की रक्षा करना चाहते हैं और उनके स्थायित्व के लिए बात करना चाहते हैं साथ ही उनके सच्चे जीवन की परिकल्पना करना चाहते हैं तो हमें हमारी जीवनशैली की इन घटकों को बदलते परिवेश में किस प्रकार से नए तरीके से आगे ले जाना है उस पर निरंतर सोचना होगा और प्रयास करना होगा। दूसरा एक और विषय जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था कि अभी-अभी मुझे कुशलगढ़ क्षेत्र की एक बहन के वहां जाने का मौका मिला। वो, उनके पति और बच्चा तीनों बहुत खुश थे जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी खुशी और बदलाव का क्या कारण है तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में बदलाव आ गया, हमारे खेती के तरीके में बदलाव आया है। जब मैंने पूछा ये बदलाव कैसे आया तो उन्होंने बताया हमको तो केवल मात्र वाग्धारा के एक सहजकर्ता ने समझाया था, थोड़ा बहुत सामान दिलावा दिया जिससे हमने नर्सरी शुरू कर दी और हमने खेती में नए तरीके अपना लिए जिससे हम हमारी वार्षिक आय को 6-7000 से आज एक डेढ़ लाख तक ले गए।

आप अंदाज लगाइए जिस व्यक्ति ने बताया होगा उसने कितना बड़ा परिवर्तन किया किसी के जीवन में। जिस समूह से वह महिला जुड़ी हुई होगी उस समूह ने कितना बड़ा परिवर्तन किया। इसी तरह कोई बच्चा कितना बड़ा उदाहरण बन सकता है समाज के लिए, उस पुरुष के लिए कितनी खुशी की बात है कि जो समाज में अपनी बात नहीं रख पाता था वो अब रख पाएगा।
क्या हमारे पास इतने वर्षों में ऐसा एक उदाहरण है? नहीं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं परंतु सवाल यह है कि हम उदाहरणों को आगे तक पहुंचाते हैं या नहीं, हम उन परिवर्तनों को दुनिया को बताते हैं या नहीं अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारी बात हम तक ही सिमट कर रह जाएगी। मेरा और वाग्धारा संस्था का यह मानना है कि हर व्यक्ति में अपने स्वाभाविक गुण व क्षमता होती हैं और अपने अपने स्तर से हमेशा बदलते परिवेश में आगे जाने की संभावनाएं होती हैं, जरूरत केवल मात्र समय-समय पर उसके लिए प्रयास करने की है। अगर हम बात करें एक स्वराज मित्र के साथी कि अगर वह सतत विकास और संगठन के साथ काम नहीं करेगा तो बात कैसे आगे पहुंच पायेगी। पिछले कुछ समय से हमेशा हम सोचते और चर्चा करते रहते हैं, आपको भी यह बताया जाता है, संगठन के साथियों और स्वयंसेवक की चर्चा में कहा जाता है कि हमें हमारे स्तर के एक सोपान से दूसरे सोपान तक जाना होगा। वह कैसे जा पाएंगे, क्या हम एक संगठन की व्यक्ति एक ही जगह रुके हुए रहेंगे, क्या हम संगठन द्वारा एक संगठन से दूसरे क्षेत्र में जहां पर संगठन नहीं है वहां तक बात पहुंचा सकते हैं या नहीं, क्या सहजकर्ता अपने संगठनों के साथ नए संगठनों के विकास के बारे में सोच रहे हैं, जिन परिवारों की आजीविका में बदलाव आया है या जिन सक्षम समूह ने अपने साथियों के वहां बदलाव किया है वह दूसरी जगह नए सक्षम समूह के साथ काम करना चाहते हैं, क्या वह इन बातों को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, क्या हम जल, जंगल, जमीन, जानवर, बीज, पानी के संरक्षण और उससे आजीविका को बढ़ाने के जो उदाहरण हैं, जो हमने अपने परिवारों में किए हैं वह दूसरे परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं क्या हम एक लाख परिवार से आगे दो लाख परिवार तक इसको ले जाना चाहते हैं।

अगर हम दुनिया बदलने की बात करते हैं तो हमारे इस पूरे संरचना के हर घटक को, हर व्यक्ति को, हर संगठन को और हर एक बात को आगे तक पहुंचाना का प्रयास करना होगा अन्यथा यह प्रयास आगे नहीं पहुंच पाएगा और सुरक्षित नहीं रह पाएगा और हम एक जगह पर रहते हुए अपने आप को उबाक महसूस करेंगे क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है इस बात को हमें समझना होगा हमें हमारे प्रयासों में नवीनता लानी होगी। क्या आप संगठनों की बैठक में केवल मात्र नियमित एक ही बातों की चर्चा करते हैं या बदलते तरीके से बात करते हैं, क्या आप संगठन की बैठक एक जगह ही करते हैं या बदलते हुए करते हैं, क्या स्वराज मित्र अपनी रिपोर्ट लिखने का एक ही तरीका काम में लेते हैं या उसे बदलते हैं, क्या सहजकर्ता अपने साथियों से चर्चा एक ही तरीके से करते हैं या बदलते हुए करते हैं। अगर हम बदलाव की बयार को हमारे ज्ञान को सहजते हुए नहीं कर पाएंगे तो हमें इस बात को आगे तक पहुंचाने या इस बात को दूर तक ले जाने में कठिनाईयां होंगी।

मेरा आप सब से आग्रह है कि जो दो संवाद मैंने आपको 'बातों के माध्यम से कहे हैं कि हमारी जीवन शैली संरक्षित जीवन शैली है और वही गांधी जी का सच्चा स्वराज है इस बात को स्वयं से, संगठन से, समुदाय से, और अपने 1000 गांव के अलावा अन्य गांव में अपने रिश्तेदारों में किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं उस पर हम जरूर बात करेंगे, जरूर काम करेंगे।
एक महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मनरेगा में जो बचे हुए दिन साथियों के परिवारों के बाकी रह गए हैं उन्हें इस महीने में पूर्ण करके आने वाले महीने में अपने घर पर रहे, परिवार के साथ रहे, अपनी खेती के काम करें, स्थानीय कामों में श्रम करके घर पर रहे, हमारे 100 दिन पूरे करें ताकि हम सरकार के पास जा सके और कह सके कि हमारे मनरेगा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और अभी हमारे आने वाला समय पूरा वित्तीय वर्ष बाकी है तो हम नए कामों की मांग कर सके। आप सभी साथियों को पुनः शुभकामनाएं।

धन्यवाद

आपका जयेश

बातें

दिसम्बर, 2021

वाग्धारा नी



जनजातियों की पारंपरिक मिश्रित खेती एवं एकल फसल पद्धतियों का आंकलन; एक वैज्ञानिक सोच



समस्त भारतवर्ष में स्थित जनजातीय जिले अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के चलते एक अलग ही पहचान रखते हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों का जुड़ाव व रहन सहन प्रकृति के समीप, वन, पहाड़ियों एवं नदियों के नजदीक होने से उनसे जुड़े घटक उनकी जीविकोपार्जन के साधन बनते हैं। कुछ ऐसी ही भौगोलिक परिस्थितियां एवं वनो, खेतों से जुड़ाव दक्षिणी राजस्थान के तीन प्रमुख जनजातीय जिले बांसवाड़ा, डुंगरपुर एवं प्रतापगढ़ का भी है। ये जिले अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण अधिक बरसात वाले तथा पहाड़ियों, तलहटियों के चलते ऊबड़-खाबड़ भू-भाग का निर्माण करते हैं। अधिक बरसात के चलते नदी, नाले एवं वनो की अधिकता के साथ ही 70 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी होने से ये जिले सर्विधान के ट्राइबल सब प्लान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जनजातियों का खेतों से जुड़ाव इस बात से भी जाना जा सकता है कि इनके निवास स्थल अधिकतर अपने खेतों पर ही छोटा सा घर बनाकर होता है तथा इनसे जुड़े पशुधन जैसे गाय, बैल, बकरी, मुर्गी इत्यादि इनके प्रमुख साथी होकर खेतों एवं जीवन से जुड़े समस्त घटकों में सहजीवन का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र के नवीन अनुसंधानों के चलते खेती को लाभदायक बनाने के प्रयास पूरे भारतवर्ष में किये गये। जिसमें जनजातीय किसानों को भी देश के अन्य किसानों की तरह ही मानते हुए अधिक पैदावार देने वाली संकर किस्मों एवं नगदी फसलों के प्रयोग इन क्षेत्रों में भी किये गये। अधिक बरसात एवं भरपूर उर्वरा शक्ति वाले प्रकृति के निकटस्थ इन खेतों में अधिक उत्पादन एवं लाभ को आँकते हुए इन्हे अधिक उत्पादक माना गया, किंतु उन खेतों के स्थायित्व वाले जनजातीय किसान जो की पूर्णरूप से खेतों, वनोपज एवं उनसे जुड़े हुए संसाधनों पर ही आश्रित थे वे अपने मूलस्वरूप से भटकते हुए देखे गये। इस तथ्य को समझने के लिए पहले हम जनजातियों के मूल स्वरूप को समझना आवश्यक हो जाता है। इनके स्थायित्व में प्रति किसान दो-तीन बीघा होने से ये लघु

एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। पारंपरिक रूप से वर्षा पोषित मिश्रित खेती करते हुए क्षेत्र पर प्रचलित समस्त फसलों की खेती अपने उपलब्ध खेत पर लेते हुए अपने परिवार एवं पशुधनों की समस्त जरूरतों को पूरा करते हैं। मिश्रित खेती, खेती की वह विधा है जिसमें एक ही खेत पर मक्का फसल को मूल में रखते हुए अन्तःफसल के रूप में कतारों में उड़द, मूंग, अरहर, धान, चवला, तिल, मूँगफली, कपास तथा बीच-बीच में सब्जी की फसलें जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, ककड़ी, लौकी, कद्दू, सेम, हल्दी, अदरक इत्यादि एवं खेतों के चारों तरफ फलदार पेड़ जैसे नींबू, पीपता, बेर, अमरूद, आम, केला इत्यादि फसले ली जाती हैं।

वर्षा आधारित खेती होने से बरसात कि अधिकता एवं कमी वाले वर्षों में दूसरी फसलों से भी उत्पादन प्राप्त करना भी मिश्रित खेती का कारण होता है। दक्षिणी राजस्थान के इन जनजातीय जिलों की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां (असमतल पहाड़ों कि तलहटियों वाले खेत), अधिक बरसात, वर्षापोषित खेती, सीमित जोत एवं जनजातीय किसानों के चलते यहाँ मिश्रित खेती ही क्षेत्र के टिकाऊपन एवं निरंतरता के लिये आवश्यक हो जाती है। इस पारंपरिक मिश्रित खेती में एक वैज्ञानिक सोच भी समाहित है। जैसे हमारे शरीर के पोषण के लिये नित्य प्रतिदिन पोषक तत्वों कि आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज तत्व प्रमुख हैं। इन तत्वों के प्रमुख उत्पादक घटक इन सभी फसलों जैसे मक्का और धान से कार्बोहाइड्रेट, दालों से प्रोटीन, तिल, मूँगफली, सोयाबीन से वसा एवं सल्फिजों व फलों से विटामिन एवं खनिज इत्यादि समस्त पोषक तत्वों की आपूर्ति समस्त परिवारजन को इन उपलब्ध फसलोंतयाद एवं पशुधन के उत्पाद दूध, दही, घी से हो जाती है। साथ ही इन फसलों के चारे से पशुधन का पालन पोषण एवं उनके गोबर-मूत्र से खाद इत्यादि उपयोग से फसलों का विकास सहजीवन का एक अनोखा समन्वय जनजातीय दर्शाते आये हैं। इससे इतर और सबसे प्रमुख, वर्षाभर खेती एवं उससे जुड़े कार्य एवं उनके अधिशेष उत्पादों को

निकटस्थ बाजार में क्रय-विक्रय कर आय के अतिरिक्त साधन जुटाने एवं दिन-प्रतिदिन उपलब्ध कार्य करके आजीविका के लिये पलायन कि समस्या से रूबरू भी नहीं होना पड़ता था।
खेती को अधिक लाभदायक बनाने के उद्देश्य से जब अधिक उत्पादन देने वाली संकर किस्में, एवं नकदी फसलों जैसे संकर कपास, बीटी कपास, सोयाबीन इत्यादि का प्रचलन बढ़ा तो उत्पादन तो निश्चित रूप से बढ़ा किंतु आय उस अनुपात में नहीं बढ़ पाई। समान्यतः सिंचित क्षेत्रों के लिये अपनाई जाने वाली इन फसलों में अधिक उत्पादन के लिये प्रति वर्ग नया बीज, रासायनिक उर्वरक, कीड़ा एवं पौध बीमारियों को रोकने के लिये रासायनिक पेस्टिसाइड्स इत्यादि की अधिक आवश्यकता होने से खेती लागत में वृद्धि होती है। साथ ही उत्पादन की एकरूपता, अधिक उपज एवं बुवाई, कटाई एवं छिड़काव हेतु मशीनों के उपयोग के कारण एकल खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा जो कि, समान्य एवं सिंचित क्षेत्र के लिये तो लाभदायक हो सकता है किंतु सीमित जोत, असमतल, वर्षापोषित जनजातीय किसानों के खेतों पर इसका पूरा लाभ ले पाना कुछ कठिन ही प्रतीत हुआ। साथ ही इसे अपनाने से क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन कार्य के अभाव से पलायन एवं खेत पर ही सीमित फसलोत्पाद की उपलब्धता एवं खरीद हेतु धन की आवश्यकता के चलते कुपोषण की दिन-प्रतिदिन समस्या से भी रूबरू होना पड़ता है। इन पूरी परिस्थितियों को हम देखे तो समझ सकते हैं कि कृषि कि नवीन तकनीक समान्यतः समतल एवं सिंचित खेतों के लिये तो लाभदायक सिद्ध हो सकती है, किंतु इनका पूरा फायदा वर्षापोषित क्षेत्र के, सीमित जोत के असमतल खेतों पर प्रकृति से नजदीकी वाले जनजातीय किसानों द्वारा लिया जाना कठिन प्रतीत होता है। वरन उन्हें आयपरक खेती के मुकाबले टिकाऊ खेती कि आवश्यकता है जो उनके खेतों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप फसले, उन्हें दिन-प्रतिदिन शारीरिक आवश्यकता अनुरूप गुणवत्तायुक्त पोषण प्रदान करे, साथ ही उनके पशुओं को चारा प्रदान कर खेती हेतु खाद की व्यवस्था कर सहजीवन का एक चक्र प्रदान करे। इसके अतिरिक्त ये पद्धति उनके खेतों

पर वर्षभर कार्य उपलब्धता करारक पलायन रोकने में भी सहकारी कारण होती है।

पारंपरिक मिश्रित खेती- लाभ

- सभी फसले एक ही खेत पर (अनाज, दाल, फल-सब्जी हेतु बाजार पर कम निर्भरता)।
- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज प्रदायी फसले अपने खेतों पर (परिवार के भरण पोषण हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पाद प्राप्त कर कुपोषण से मुक्ति)।
- कम-ज्यादा बरसात होने पर भी विकल्प फसल उत्पाद कि प्राप्ति।
- पशुधन के लिये वर्षभर चारे कि व्यवस्था।
- पशु उत्पाद दूध- दही- घी से पोषण साथ ही गोबर, गो-मूत्र से जैविक खाद।
- जैविक खाद से गुणवत्ता युक्त उत्पाद एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि।
- खेती के अधिशेष उत्पाद से आय में वृद्धि (सब्जी, फल, दूध से)।
- खेत पर ही वर्षभर कार्य उपलब्ध होने से पलायन में रोक।
- एकल खेती- नुकसान (जनजातीय क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों को)।
- एक कृषि मौसम में एक ही फसल (विपरीत परिस्थितियों में फसल को नुकसान की संभावना)।
- एक समय में एक ही फसल की प्राप्ति (पोषण के लिये बाजार के अन्य साधनों पर निर्भरता, कुपोषण की संभावना)।
- फसल फकने पर ही एक मुश्त आय कि प्राप्ति (दिन-प्रतिदिन खर्च हेतु बाजार पर निर्भरता, पलायन में वृद्धि)।
- फसल खराब पर पशुधन के लिए चारे का अभाव (बाजार पर निर्भरता)।
- खेतों पर दिन- प्रतिदिन कम कार्य (परिणामस्वरूप पलायन में वृद्धि)।
- खेती कि लागत में वृद्धि (आय-व्यय में विपरितता)।

डॉ.प्रमोद रोकड़िया

कृषि विशेषज्ञ, वाग्धारा संस्थान

पेसा कानून और ग्राम सभा की भूमिका

भारत में चल रही आधुनिक विकास की परिकल्पना ने अगर किसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वह इस देश का जनजातीय समुदाय है। अपने जल, जंगल, जमीन से लगातार बेदखली ने जनजातियों के जीवन के संकट को बढ़ाया है। जनजातियों के साथ हो रहे इस अन्याय व अत्याचार से बढ़ते जन असंतोष और सरकार पर बन रहे दबाव के चलते संसद ने दिसंबर 1996 में 'पेसा कानून' पारित किया जो इस कानून द्वारा जनजातियों के लिये विशिष्टता प्रदान करते हुए उन्हें भिन्न प्रकार के अधिकार एवं विशेषाधिकार देता है। पेसा कानून के तहत सभी गाँव की परंपरागत ग्राम सभा को अपने गाँव विकास की योजना बनाने तथा लागू करवाने का अधिकार है।

पेसा कानून और ग्राम सभा की भूमिका

5वीं अनुसूची के निर्माण के समय तीन बातें स्पष्ट तौर पर कही गईं- सुरक्षा, संरक्षण और विकास मतलब कि जनजातियों को सुरक्षा तो देनी ही साथ ही उनकी क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण और विकास भी किया जाएगा जिसमें उनकी बोली, भाषा, रीति-रिवाज और परंपराएं शामिल हैं। स्वयंसेवी संस्थानों, जनजातीय समाज के कुछ जागरूक लोग जनजातीय अधिकारों में पेसा कानून लागू करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला तथा जनजातीय समाज में शिक्षा की पहुंच कम होना और राजनीतिक उदासीनता के कारण जमीनी स्तर पर पेसा कानून का क्रियान्वयन एक चुनौती है। पेसा कानून को 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी जनजातीय क्षेत्र की ग्राम सभाएं सामान्य ग्राम सभाओं की तरह ही कार्य कर रही हैं। पेसा कानून में ग्राम सभा के सर्वोपरि गाँव के सभी मतदाता (महिला/

पुरुष) ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। गाँव के मतदाताओं द्वारा जब ग्राम सभा के गठन हो जाने की घोषणा की जाती है, तब कुछ जरूरी जानकारी ग्राम सभा के लोगों को होनी चाहिए, जिससे ग्राम सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, क्योंकि ग्राम सभा की कार्यवाही कानूनी रूप से मान्य है।

1. **ग्राम सभा सचिव** - ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का सचिव होगा। वह बैठक की सारी कार्यवाही रजिस्टर में लिखेगा।
2. **ग्राम सभा की बैठक** -- ग्राम सभा की साधारण बैठक वर्ष में चार-बार आयोजित की जायेगी। ग्राम सभा की कार्यवाही जनता के बीच संचालित की जायेगी। ग्राम सभा का निर्णय सर्वसम्मति से होगा। यदि कोई निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो सका तो ऐसे विवाद पर एक सप्ताह बाद या अगली बैठक, जैसा तय हो उसमें चर्चा की जायेगी। यदि दूसरी बैठक में भी सर्वसम्मति नहीं हो पाती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। कोरम के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा। सचिव कार्यवाही के सही लेखन का जिम्मेदार होगा। बैठक की समाप्ति पर कार्यवाही पढ़कर सुनाई जायेगी और बैठक में उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा अनुमोदन और हस्ताक्षर किया जायेगा। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जायेगी।
3. **कोरम** - ग्राम सभा कि किसी भी बैठक के लिए ग्राम सभा के मतदाताओं का 10वां भाग अनिवार्य होगा।
4. **ग्राम सभा की अध्यक्षता** - ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच या उपसरपंच द्वारा की जायेगी। उनकी अनुपस्थिति में गाँव के किसी भी व्यक्ति को बहुमत से उस बैठक का अध्यक्ष चुन कर बैठक

सम्पन्न करेगी।

5. **ग्राम सभा की बैठक की तारीख व समय** - सरपंच या सचिव ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे। बैठक के दिन, समय और एजेण्डे की सूचना सबको दी जायेगी। हरतीसरे महीने में कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगी।

6. **ग्राम सभा की विशेष बैठक** - यदि साधारण बैठक में ग्राम सभा आयोजित करना तय किया गया है या कोई ऐसा प्रस्ताव जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हो। तब ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों द्वारा सचिव को लिखित दी गयी सूचना के आधार पर बैठक होगी। विशेष बैठक में लिए निर्णय को अगली बैठक के अलावा कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी। ग्राम सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

7. **ग्राम सभाओ की संयुक्त बैठक** - सामुदायिक स्रोतों के प्रबन्धन, सड़क निर्माण जैसे मामलों में जिसमें अन्य ग्राम सभाओं को शामिल करना जरूरी हो वहाँ ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओ की बैठक संचालित की जा सकती है। संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5 प्रतिशत या 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक की अगली तारीख उसी दिन तय की जायेगी। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक ऐसे मुद्दों पर जो कि पूरी पंचायत को प्रभावित कर रहा हो।

8. **महिलाओ की भागीदारी** - ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के सुविचार ग्राम सभा के विचार माने जाएंगे और उन विचारों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ग्राम सभा में 50 प्रतिशत महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।



सच्चा बचपन : बच्चों के प्रति संवेदनशीलता की जरूरत क्यों ?

परिदृश्य : कोरोना महामारी के बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों की स्थिति देखे तो, कई बच्चों ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई है, छोटी उम्र में मजदूरी करने जा रहे हैं जहाँ किसी ना किसी रूप में उनका शोषण हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी अभिभावकों, शिक्षक एवं हम बड़ों की है। हम देखते हैं कि कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक उच्च पद पर देना चाहते हैं लेकिन वही हमारे आस-पास जो गरीब परिवारों के बच्चों हैं उनसे वे अपेक्षा रखते हैं कि वे उनके घर काम करें, उनके छोटे-मोटे कामों में उनका हाथ बढ़ाएँ, उनके खेतों में काम करें, पशु संभालें। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है। ऊपर से माता-पिता दोनों कामकाजी होते हैं। पुराने जमाने में भारत जैसे परंपरागत देशों में तो बच्चों को दादा-दादी या नाना-नानी का साथ और बच्चों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सहपाठी मिल जाया करता था, लेकिन अब परिवार की बढ़ती हुई जरूरतों ने अधिकांश बच्चों को एकाकीपन की ओर धकेल दिया है। यह एकाकीपन भी उन्हें अपराध का शिकार होने की परिस्थितियों की तरफ धकेल देता है। समाज में कुछ शांतिरिदिमाग लोग किसी ना किसी बहाने बच्चों से निकटता स्थापित करके उनका अपहरण कर लेते हैं, उन्हें यौन दुराचार का शिकार बना देते हैं, उन्हें कुकृत्यों की ओर प्रवृत्त कर देते हैं या फिर अवैध तरीके से उन्हें बेच कर उन्हें भीख मांगने पर विवश कर देते हैं। हालांकि बच्चों से रोजगारपरक श्रम लेना अपराध है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या कम नहीं है, जो जी-तोड़ मेहनत करके अपने परिवारों का पेट पाल रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के सही विकास के लिए उन पर शुरू से ही ध्यान देना जरूरी होता है। स्कूली शिक्षा के साथ ही उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देना जरूरी है। यह काम अभिभावक ही कर सकते हैं। बच्चों की सही परवरिश के लिए उन्हें उन बातों की जानकारी देनी जरूरी है, जो हमारे सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हैं। अगर बचपन में ही उन्हें सही मूल्यों का ज्ञान करा दिया जाए तो बड़े होने पर वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आते हैं। इसलिए निम्नलिखित बातों पर बच्चों के प्रति व्यवहार परिवर्तन जरूरी है :-

• **संवेदनशीलता :** बच्चों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर बच्चे बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों के सुख-दुख के प्रति वे संवेदन महसूस करते हैं, उनकी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। कई अभिभावक ऐसे होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की बातों से क्या लेना-देना। इससे उनमें स्वास्थ की भावना विकसित हो सकती है। बच्चे संवेदनशील बन सकें, इसके लिए उन्हें प्रकृति के भी करीब ले जाना चाहिए।

• **असफलता पर भड़के नहीं :** हर अभिभावक की यह खाहिश होती है कि उसका बच्चा पढ़ाई और दूसरे क्षेत्रों में सबसे आगे हो। बच्चे खुद भी इसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन सफलता और असफलता साथ-साथ चलने वाली चीज है, जरूरी नहीं कि हर बार आपका बच्चा सफल ही हो। अगर वह कभी असफल होता है तो उससे भड़के नहीं, बल्कि सहानुभूति के साथ पेश आएँ और उसका हौसला बढ़ाएँ।

• **पाठ्यक्रम से अलग किताबें भी पढ़ने को दें :** बच्चे के व्यक्तित्व का सही तरीके से विकास हो सके, इसके लिए उसे उनके पाठ्यक्रम से अलग किताबें भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इससे उनमें नैतिक बोध का विकास होता है और वे अपनी संस्कृति से भी परिचित होते हैं।

• **बच्चों से बातें करें :** आपके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि व्यवस्था के बावजूद आप समय निकाल कर उनसे बात करें। आप बच्चों से किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। उनके साथ मित्रवत पेश आएँ, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है।

• **तनाव को हावी ना होने दें :** आजकल हर क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) है कि बच्चे भी तनाव का शिकार हो जाते हैं। उन्हें भी असफलता का डर सताता है। कई बार स्कूल में या दोस्तों के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो वे किसी से बताते नहीं और भीतर-भीतर घुटते रहते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे के व्यवहार को भांपते रहें, अगर आपको लगे

कि आपका बच्चा किसी तरह के तनाव में है तो उसका कारण जानने और उसे दूर करने की कोशिश करें और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है आपका बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार। अगर आप बच्चों से उनके मित्र बनकर बात करेंगे तो बच्चे और ज्यादा खुद को आपके साथ सहज महसूस करेंगे और खुलकर आपके साथ बात करेंगे।



हर बच्चा अपनी बात कहना चाहता है, हमें धैर्य के साथ उनकी बात सुननी व समझनी चाहिए। कई बार परिवार के बुजुर्ग लोग जैसे दादी-नानी बच्चों के अधिक करीब होती हैं, क्योंकि वे धैर्य के साथ बच्चों को सुनती हैं। परंतु माता-पिता के पास समय नहीं होता है, न वे उन्हें सुनते हैं न देख समझ पाते हैं। हमें अपने बच्चों को पूरा समय देना चाहिए ताकि वे अपने मन को हमारे सामने खोल सकें। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, उनकी समझ व परखने की शक्ति बहुत गहरी होती है। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपनी इस शक्ति को खो देते हैं। अध्यापकों व माता-पिता को बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इन्हें इससे संबंधित किताबें पढ़नी चाहिए और समय-समय पर प्रशिक्षित लोगों से ज्ञान भी लेना चाहिए। अध्यापकों को उनके प्रशिक्षण के समय बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित विषय पढ़ाया जाता है। परंतु व्यवहार में वह उसका कम ही ध्यान रख पाते हैं। अध्यापकों को बच्चों के प्रति संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार माता-पिता भी बच्चों के प्रति भावुक होते हैं, उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं, परंतु उनमें भी संवेदनशीलता की कमी पाई जाती है।

संवेदनशीलता और इसमें बड़ों की भूमिका : संवेदनशीलता से अभिप्राय है कि आपकी दूसरे की भावनाओं के प्रति ब्या और कितनी समझ है, यह भावना बच्चों के संबंध में अधिक होनी चाहिए। बड़ों की अपेक्षा बच्चों अधिक संवेदनशील होते हैं। इस विचार में कोई संदेह नहीं कि हर प्राणी अपनी विशेष योग्यताओं के साथ इस दुनिया में आता है। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। व्यवस्क व्यक्ति का दिमाग व व्यक्तित्व विकसित हो चुका होता है। वह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों व स्वभाव में अपने परिवेश व परिस्थितियों से ग्रहण समस्त अनुभूतियों का उसमें मिश्रण कर चुका होता है। अतः यह आवश्यक है कि एक बच्चा अपने परिवेश व परिस्थितियों से जो अनुभूतियों ग्रहण करे वह उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से निखार सकें। एक बच्चे की परवरिश स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ हाथों में होनी चाहिए, जिससे उसका चहुंमुखी विकास हो सके। स्वस्थ वातावरण से अभिप्राय है कि जहाँ जातिगत भेदभाव, छलकपट इत्यादि तत्वों की उपस्थिति न हो। स्वस्थ हाथों से अभिप्राय है कि माता-पिता व शिक्षक का मन साफ हो उनमें किसी के प्रति दुर्भावना न हो।

उनका हृदय जातिगत भेदभाव, साम्प्रदायिकता व ऊंच-नीच के भाव से ऊपर हो।

जैसा की हम जानते हैं की बच्चे के व्यक्तित्व विकास के बीच उनके बचपन के आरंभ में ही पड़ जाते हैं, अतः यदि माता-पिता व शिक्षक बच्चों को समानता व प्रेम की शिक्षा दें तो बच्चे का मन साफ व पवित्र रह सकता है। परंतु यह गुण किताबों में पढ़ाने से या रटाने से नहीं आते हैं, इसको व्यवहार में लाना आवश्यक है। यदि माता-पिता या शिक्षक बच्चे को किताबों से गाँधी जी का पाठ पढ़ाते हैं जैसे कि छुआ-छूत नहीं करनी चाहिए, सभी मनुष्यों को समान समझना चाहिए। लेकिन स्वयं इसका व्यवहार में पालन नहीं करते हैं, तब बच्चा उस पाठ को कैसे ग्रहण कर पाएगा, वह भी परीक्षा के लिए उस पाठ को रट लेगा। माता-पिता व शिक्षकों को अपने बच्चों को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए अपनी सोच पर कार्य करना चाहिए।

निम्नलिखित ध्यान रखने वाली बातें जिसमें अभिभावक, शिक्षक और बड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है:-

• जिन्हें हम महान विचारक या दार्शनिक मानते हैं, उनके विचारों को सिर्फ पढ़ कर या सुनकर छोड़ देते हैं, उन पर न तो मनन करते हैं, न अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। अतः यही परंपरा आगे की पीढ़ियों निभाती जाती है। प्रत्येक बच्चा इस दुनिया में अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व लेकर आया है। उसकी रूचि, उसका दिमाग अपने आप में अलग होता है। अतः एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करना उचित नहीं होता है।

• हमें आरंभ से ही अपने बच्चे को समझना होगा, उसके दिमाग को, उसकी रूचि को परखना होगा। उसे दुनिया की प्रतियोगिता के वातावरण से दूर रखना होगा तभी हम उसका पूर्ण विकास कर सकेंगे।

• सभी बच्चों को बाहर मैदान में खेलना पसंद होता है। बाहर का प्राकृतिक वातावरण सभी के मन को भाता है और प्रकृति से जुड़ कर वे जल्दी सीख पाते हैं। पर उसमें भी कुछ बच्चे उस वातावरण में दौड़ना-भागना व खेलना पसंद करते हैं, उन्हें दौड़ना-भागना व खेलना पसंद नहीं है, फिर भी हम उन्हें शारीरिक क्षमताओं के खेल खिलाते जिससे उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकास हो। कुछ दौड़कर गेंद पकड़ना जल्दी समझ पाते व पकड़ पाते और किसी-किसी के लिए यह कठिन होता है पर जिनके लिए यह कठिन होता वह दौड़ने में बहुत आगे भी होते हैं।

• लेकिन हमें ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, जिनके लिए लगता कि वह किसी क्षेत्र में रूचि नहीं ले रहे हैं। पर वे बच्चों मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं, उनके साथ अतिरिक्त कोशिश करनी होती है, शायद वे जिस वातावरण से आते हैं या जिनके पास से आते हैं या तो उनसे बहुत जुड़े होते हैं अथवा क्षुब्ध होते हैं। हमें अपने प्रेम और अपनत्व से उन्हें विश्वास देना होता है, उनके माता-पिता से बात करनी होती है। माता-पिता भी पारिवारिक वातावरण के विषय में खुल कर बात नहीं करेंगे अतः कोशिश शिक्षक को करनी होती है और निरंतर प्रयास करने होते हैं। उन बच्चों की आलोचना अपने मन में भी नहीं लानी होती है। आपके मन की बात वे संवेदनशील बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, वे जान जाते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं या उनके लिए अधिक परेशान व चिंतित हैं। आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें न लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं या उन्हें सामान्य नहीं मान रहे हैं।

• हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर बच्चा सामान्य है, वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का स्वामी है, अतः वह एक स्वाभाविक बच्चा है। जब तक हम अपने मन व दिमाग में यह नहीं समझेंगे व इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे व्यवहार में स्वाभाविकता नहीं आ सकती है और संवेदनशील बच्चे तुरंत आपके व्यवहार को समझ जाते हैं।

• जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं, तब उन्हें नहीं पता होता कि माता-पिता या उनके बड़े अथवा यह समाज कैसा है? उन्हें जैसे भी माता-पिता मिलते हैं, उन्हें वे स्वीकार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। अपने माता-पिता के मन के भावों को, उनकी इच्छाओं को समझते हैं तथा उनके लिए अपने माता-पिता की संवेदनाओं का बहुत महत्व है। अपने माता-पिता की अभिलाषाओं को

पूरा करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य होता है। अतः बच्चों पर थोपी गई माता पिता की अभिलाषाएँ उनके विकास को अवरूद्ध कर देती हैं।

• इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को इस समाज के लिए तैयार नहीं करें, उस समाज के लिए जहाँ उसे पग-पग पर प्रतियोगिता का सामना करना होगा। नौकरों, व्यापार अथवा अन्य कोई भी क्षेत्र जिसमें वह आगे बढ़ना चाहता है, उसे प्रतियोगिता मिलेगी। खेल के मैदान में भी अच्छा खेलना होगा व हार-जीत का सामना करना होगा। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ना सिखाना है। पर आगे बढ़ने की गति उन्हें अपनी क्षमतानुसार चुनने दीजिए।

• हमें अपने बच्चों को आत्मविश्वासी और निर्भीक बनाना चाहिए, इसके लिए हमें उनके मन को समझना होगा, उन्हें कभी भी अपने मन व कर्म से हीन नहीं समझना होगा। तभी ये बच्चे वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसे में हम बच्चों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा को मदेनजर रखते हुए हर एक व्यक्ति को जागरूक एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि जहाँ हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं वहाँ हम हमारे आस-पास के बच्चों, जो गरीब हैं, अनाथ हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं या फिर बाल श्रम में लगे हुए हैं उनके बारे में सोचें, उनके अधिकार उन्हें दिलाएँ, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखें।

• कोई बच्चा जो अनाथ है और उसे बाल श्रम करने की आवश्यकता है तो उनकी बातों को सुनकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही हम अगर सक्षम हैं तो उनकी सहायता करें।

• जो बच्चे पलायन के चलते माता-पिता के साथ चले जाते हैं, शिक्षा से दूर होते हुए मजदूरी में लग जाते हैं, तो उनके माता-पिता को समझाएँ कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ लेवें, स्थानीय रोजगार के लिए महानरगा में आवेदन कर रोजगार प्राप्त करें, अपनी कृषि को सुधरें और पलायन ना करें, जिससे उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके।

• हम हमारे घरों में या आस-पास बच्चों से काम ना करवाएँ और अगर हमारे



आस-पास कोई बच्चा बाल श्रम करता हुआ दिखता है तो तुरंत 1098 पर कॉल कर सकते हैं।

माजिद खान
बाल अधिकार, कार्यक्रम प्रभारी
वाग्धारा

बाल संवेदनशीलता के लिए विभिन्न स्तरों की भूमिका

परिवार स्तर पर

- सर्वप्रथम बच्चों के अभिभावक / संरक्षक या परिवार में कोई भी बड़ा है तो वह बच्चों के प्रति संवेदनशीलता से व्यवहार करे और उनके प्रति समानुभूति रखे।
- यह सुनिश्चित करे की कोई भी अपने घर पर किसी बच्चों को अपने घर में बाल श्रम ना करवाएँ और ना ही स्वयं के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम कार्य में संलग्न करे।
- प्रत्येक अभिभावक/संरक्षक बचपन से ही बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह का व्यवहार करे ताकि बच्चों हर छोटी से छोटी बात उनसे साँझा करे।

विद्यालय स्तर पर

- बाल-श्रम विरोधी विरह दिवस या बाल अधिकार सप्ताह के दौरान विद्यालय स्तर पर बाल सभा का आयोजन कर चर्चा करें की विद्यालय के बच्चों के जीवन में बाल-श्रम उन्मूलन का क्या महत्व है एवं बाल अधिकारों के प्रति शिक्षकों की संवेदनशीलता कितनी जरूरी है।
- बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का महत्व और संवेदनशीलता के दुष्परिणाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाए।
- अभिभावकों के साथ होने वाली बैठकों में भी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है और अभिभावकों की परिवार स्तर पर बच्चों को बाल नैकी वातावरण देना चर्चा जरूरी है, इस पर उनको जागरूक करे।

सामुदायिक स्तर पर

- स्थानीय संगठन जैसे ग्राम विकास बाल अधिकार समिति, बाल संरक्षण समिति, विद्यालय प्रबन्धन समिति इत्यादि समुदाय में बाल संवेदनशीलता के सम्बन्ध में सभी से चर्चा करें, तथा बाल-श्रम विरोधी विरह दिवस या बाल अधिकार सप्ताह जैसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाएँ।
- अगर समुदाय में किसी बच्चों के प्रति कुछ भी गलत होता है तो उसका विरोध करे और बाल-श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण इत्यादि की निगरानी के लिए परिवारों एवं समुदाय के साथ मिलकर कार्य करें।
- स्थानीय ग्राम पंचायत एवं जनप्रतिनिधि भी अपनी पंचायत को बाल मित्र बनाने की दिशा में कार्य करे और बच्चों के शोषण के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाएँ।
- गाँव स्तर से ज्यादा से ज्यादा युवाओं का चयन करे ताकि वह बाल मित्र वातावरण के लिए स्वयं सेवकों के रूप में कार्य करें।

सरकार स्तर पर

- बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाएँ गए सभी कानूनों का जमीनी स्तर तक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएँ।
- बाल संरक्षण को लेकर कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को एक साथ लाकर एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करे जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में बाल संवेदनशीलता को लेकर जनजागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करे एवं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों से जुड़वाने का कार्य करें।
- राष्ट्रीय स्तर से पंचायत स्तर तक बाल संरक्षण का जो ढांचा बना हुआ है उसको बाल संवेदनशीलता को केन्द्रित करते हुए कार्यक्रम बनाने और उनको क्रियान्वित करने के लिए पाबंद कराएँ।



प्रशासन का सहयोगी बन, बालक गोविंद को ढूँढने में तत्परता दिखाई चाइल्ड लाइन 1098 वाग्धारा बांसवाडा ने

बालक गोविंद हाडा उम्र 13 वर्ष को खोडन के चिकित्सा अधिकारी ने इलाज के दौरान खून की कमी होने की बात बताई एवं कहा कि बांसवाडा के जिला अस्पताल में आपको खून चढ़ाया जा सकता है आप वहाँ जाकर अपनी समस्या और एवं यह पच्ची बता देना। चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के अनुसार उसने टान लिया कि मुझे इलाज कराने की आवश्यकता है फिर क्या था वह अपनी मासी के घर परतापुर पहुंचा एवं वहाँ के निजी चिकित्सालय में जांचे इत्यादि करवाई तो वहाँ पर भी बताया गया कि आप को खून की कमी है फिर वह अकेले ही दिनांक 10 नवंबर को अपने आप को अकेला बता करके बांसवाडा के जिला अस्पताल में भर्ती होने चला आया। कार्मिक की मदद लेकर भर्ती हो गया बालक को ब्लड की जरूरत होने पर जिला अस्पताल के द्वारा एक यूनिट ब्लड चढ़ा दिया गया। परंतु बालक गोविंद ब्लड चढ़ाने के पश्चात दूसरे दिन वह अपने आप किसी को बिना बताए घर चला गया जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप सा मच गया कि जो बालक जो अपने आप को अकेला एवं अनाथ बता रहा था वह आखिर कहाँ चला गया। जिसकी पड़ताल के लिए लोहारिया थानाधिकारी जिला बाल कल्याण समिति, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इत्यादि समस्त विभागों ने बालक को ढूँढने के प्रयास किए एवं थानाधिकारी नाना लाल सालवी के नेतृत्व में टीम ने 2 दिनों तक बालक की जांच पड़ताल की परंतु बालक का पता नहीं चला। फिर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 वाग्धारा की टीम ने भी सतत जानकारी लेकर बालक को ढूँढने के प्रयास किए, परंतु बालक का 14 नवंबर की रात को घर पर ही होने की जानकारी का पता चला जिसकी जानकारी को थानाधिकारी लोहारिया को भी चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा बताया गया। जिस पर बालक को जिला बाल कल्याण समिति में चाइल्ड हेल्प लाइन टीम के माध्यम से पेश किया गया। जिला समन्वयक परमेश पाटीदार के द्वारा बताया गया कि बालक रोहिनिया खेड़ा ग्राम पंचायत का रहने वाला है फिर चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा बालक को लेकर जिला बाल कल्याण समिति के



सामने प्रस्तुत किया गया है जिसमें टीम सदस्य नरेश चंद्र पाटीदार एवं कमलेश बुनकर के द्वारा बालक को पेश करने के पश्चात बालक का परिवार में पुनर्वास करवा दिया गया। बालक की जानकारी लेने पर पता चला कि बालक के अन्य पांच भाई, बहिन है वह सभी अश्विनरत है एवं बालक के पिता भी जीवित है

पढ़ाई जारी रहेगी। जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दिलीप जी रोकडिया, सदस्य राजेश कुमार एवं नेहा मेहता जी के द्वारा बालक का परिवार में पुनर्वास करवाया गया एवं बालक के पिता जी एवं उसके काकाजी को पाबंद किया गया है कि बालक को अब किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप उस को अकेला ना छोड़ें। बालक को आप को शिक्षा से जोड़ना है तो हमारे द्वारा भी यहां से स्थानीय विद्यालय के संप्रथा प्रधान महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा साथ ही साथ चाइल्ड लाइन 1098 वाग्धारा के माध्यम से बताया गया कि परिवार को प्रथानमंत्री आवास का लाभ एवं उज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिला है तो उन समस्त योजनाओं को जोड़ने के लिए टीम के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। बालक को आज पुनः अस्पताल में एक बार बताया गया तो चिकित्सा कर्मियों के द्वारा कहा गया कि बालक को भर्ती करना पड़ेगा, जिस पर बालक के पिता जी एवं बालक के द्वारा मना कर दिया गया है कि मैं स्वस्थ हूँ, बोझा भर्ती नहीं होना चाहता हूँ, फिर भी अगर किसी प्रकार की हमें परेशानी हो तो हम अब अस्पताल में आ जाएंगे। जिसके बारे में सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकारिता विभाग को भी समस्त कार्यवाही से अवगत करवा दिया गया है। जब तक बालक के परिवार को सरकार की योजनाओं से नहीं जोड़ा जाता है तब तक टीम लगातार परिवार के संपर्क में रहेगी एवं प्रशासन को भी समय-समय पर अवगत करती रहेगी। टीम की सहायता करते हुए सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हेमंत पाटीदार के द्वारा बताया गया कि हमारे एक फोन एवं एक सूचना के माध्यम से आज चाइल्ड लाइन की टीम हमारी सहयोगी बनी है हम उसको हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपके वाग्धारा के कार्मिक एवं टीम वास्तव में किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं होते हैं जो बालक हमारे प्रशासन का सिरदर्द बना हुआ था एवं उस को ढूँढने के प्रयास करने पर नहीं मिल रहा था वह आपको टीम ने ढूँढ निकाला जिससे हमारी बहुत ही समस्याओं का समाधान हो सका।



100 रोगों की एक दवा है आंवला

शीत ऋतु में आंवले के फल का बहुत अधिक महत्व है। यह एक प्रकार से भारतीय आयुर्वेद का मूलाधार भी है। माना गया है कि ठंड में आंवले का सेवन करना काफी गुणकारी है। यह फल देने वाला वृक्ष है। यह करीब 20 फीट से 25 फीट तक लंबा पौधा होता है। हिमालयी क्षेत्र और प्रायद्वीप भारत में आंवले के पौधे बहुतायत में मिलते हैं। इसके फल सामान्य रूप से छोटे होते हैं। लेकिन प्रसंस्कृत पौधे में थोड़े बड़े फल लगते हैं। इसके फल हरे, चिकने और प्युदेदार होते हैं। संस्कृत में इसे अमृता, अमृतफल, आमलकी, पंचरसा आदि नामों से जानते हैं। यह समस्त भारत में जंगलों तथा बाग बगीचों में होता है। भारत में वाराणसी का आंवला सबसे अच्छा माना जाता है। यह फल कार्तिक माह में लगता है। आयुर्वेद में आंवले का सर्वाधिक महत्व है। चरक के मतानुसार आंवला शारीरिक अवनति को रोकने वाला, कल्याणकारी तथा धात्री (माता के समान रक्षा करने वाला) कहा गया। आयुर्वेद में आंवला सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। आंवला विटामिन-सी का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है। इसमें विद्यमान विटामिन-सी नष्ट नहीं होता। आंवला दाह, पांडू, रक्तपित्त, अरुचि, त्रिदोष, दमा, खांसी, श्वास रोग, कब्ज, क्षय, छाती के रोग, हृदय रोग, मूत्र विकार आदि अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह पौरुष को बढ़ाता है। सिर के केशों को काले, घने व लम्बे रखता है। विटामिन-सी एक ऐसा नाजुक तत्व होता है जो गर्मी के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवले का नष्ट नहीं होता। हिंदू धर्म में

आंवले का पेड़ व फल दोनों ही पूज्य हैं। कहा जाता है कि आंवले का फल भगवान विष्णु को पूज्य है। हमारे वागड़ में फाल्गुन माह की शुक्ल एकादशी आंवली ग्यारस के दिन आंवला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाकर खाया जाये तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। दिमागी मेहनत करने वाले व्यक्तियों को वर्षभर नियमित रूप से किसी भी विधि से आंवले का सेवन करना चाहिये। आंवले का नियमित सेवन करने से दिमाग में तरावट और शक्ति मिलती है। आयुर्वेद में आंवले को रसायन माना है आंवले में अनगिनत आयुर्वेदिक औषधीय गुण होते हैं आंवले के सेवन से हम हजारों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आंवले को महर्षि चरक ने चरक संहिता में सबसे बड़ा रसायन माना सभी रसायनों में आंवले का सबसे पहले वर्णन किया गया है सभी रसायन में पहले नंबर पर आंवले का नाम आता है। रसायन -

रसायन उसको कहते हैं जिससे हमारी आयु लंबी होती है दीर्घायु होती है और जिससे स्वस्थ आयु जीते है। आंवला के ताजे फलों का रस अथवा आंवले द्वारा तैयार किया गया शरबत मूत्रल, रेंचक तथा अम्लपित्त को दूर करने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह फल पित्तशामक है और संधिवात में उपयोगी है। च्यवनप्राश और ब्राह्मरसायन ये दो विशिष्ट रसायन आंवले से तैयार किए जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधि की दुकानों पर आंवले के बहुत से उत्पाद मिल जाएंगे जिसमें कई चीजें आती हैं जैसे -



- (1) आंवला रस हो गया (2) आंवला चूर्ण हो गया, (3) आंवला रसायन हो गया। तथा आंवले का मुर्ब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का अचार इन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए इन सभी चीजों से हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है।
- आंवले के 17 लाभ-**
 1. आंवले का रस आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। आंवला आंखों की ज्योति को बढ़ाता है।
 2. आंवला शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यह भोजन को पचाने में बहुत सहायता करता है। भोजन में प्रतिदिन आंवले की चटनी, मुर्ब्बा, अचार, रस चूर्ण आदि को शामिल करना चाहिये। इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है, पेट हल्का रहता है, रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है।
 3. यह खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है।
 4. महिलाओं की समस्याओं के लिए बेहद लाभकारी माना गया है।
 5. हड्डियों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। आंवले के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं।
 6. आंवले के सेवन से तनाव में आराम मिलता है। नींद अच्छी आती है। आंवले का तेल सर को ठंडा रखता है।
 7. आंवले का सेवन करने से बाह्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है।
 8. यह संक्रमण से बचाव करता है। शरीर में फंगस आदि बीमारियों से बचाव करता है। आंवला शरीर को पुष्ट करता है।
 9. मूत्र विकारों से छुटकारा दिलाता है। मूत्र विकारों में आंवले का चूर्ण फायदा करता है। आंवले का छाल और उसका सेवन करं तो लाभ होता है।
 10. आंवले के रस का सेवन करने से वजन कम करने में सहायता मिलती है।

11. अगर किसी को नकसीर की समस्या है तो आंवले का सेवन लाभकारी है।
12. आंवला हमारे हृदय की मांसपेशियों के लिये उत्तम होता है। यह नलिकाओं में होने वाली रूकावट को समाप्त करता है।
13. यह उग्रता व उत्तेजना से शांति दिलाता है। अचानक से पसीना आना, गर्मी लगना, धातु के रोग, प्रमेय, प्रदर आदि चीजों में आराम दिलाता है।
14. आंवले के रस से बवासीर ठीक हो जाता है।
15. कुष्ठ रोग में भी आंवले का रस फायदेमंद होता है।
16. आंवले का पाउडर और शहद का सेवन करें। आंवले के रस में मिश्री मिलाकर सेवन करने से उल्टियों का आना बंद हो जाता है।
17. आंवले में ऐंटीओक्सिडेंट होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये मौसम के कारण होने वाले वाइरल संक्रमण से भी बचाता है। आंवले के विषय में जितना भी कहा जाये कम है। कहा जाता है कि यह 100 रोगों की एक दवा है। आयुर्वेद में आंवला सभी रोगों की अचूक दवा मानी गयी है। यह किसी भी रूप में बेहद लाभकारी है चाहे अचार हो या फिर मुर्ब्बा। शीत में आंवले का सेवन सभी को करना चाहिये। सुबह प्रतिदिन खाली पेट दो आंवले खाने या रात में सोने से ठीक पहले एक चम्मच आंवले का चूर्ण एक घूंट पानी के साथ लेने का प्रभाव आप एक महीने में स्वयं महसूस करेंगे।

सोहन नाथ जोगी
वाग्धारा, बांसवाडा



जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई की गतिविधियाँ

हिरन

गंभीर परिस्थिति वाले बच्चों के बारे जानकारी देना ये सभी कार्य करने में मुख्य भूमिका सहजकर्ता, स्वराज मित्र एवं सक्षम समूह, ग्राम विकास बाल अधिकार समिति एवं जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्यों की रही। सभी संगठन की बैठकों में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही ग्राम पंचायत स्तरीय जनजातीय विकास फोरम की स्थापना हेतु बैठके की गई।

सच्चा बचपन :- सच्चा बचपन के तहत हिरन इकाई के 356 गाँवों में से 346 गाँवों में ग्राम विकास बाल अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया जिसका उद्देश्य ग्राम सभा में सम्मिलित ग्राम विकास योजना का फोलोअप एवं बालिका शिक्षा और ड्राप आउट बच्चों की सूची तैयार कर उन्हें शिक्षा से पुनः जोड़ना व अनाथ बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ना रहा। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए समुदाय व बच्चों को जागरूक करना रहा एवं कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया साथ ही अभिभावकों को बताया गया कि बच्चों को स्कूल भेजते समय मास्क अवश्य लगवावे क्योंकि अभी तक बच्चे कोविड 19 के टीकाकरण से वंचित है। इस माह 102 ग्राम पंचायतों में बाल सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं खेल खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करना रहा व बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने पर चर्चा की गई। इस माह सच्चा बचपन कार्यक्रम के तहत अतिकुपोषित बच्चे जिनका आंकलन पोषण स्वराज अभियान के दौरान किया गया था। जिसमें चिकित्सकीय जाटिला वाले बच्चों को कुपोषण निवारण केंद्र भेजा और बिना चिकित्सकीय जाटिला वाले बच्चों को आंगन वाड़ी केंद्रों पर उचित पोषाहार व घर पर बने सम्पूर्ण आहार खिलाकर सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास 15 दिन शिविर लगा कर उपचार एवं जागृत किया था उन बच्चों का पुनः निरीक्षण कर फोलोअप लिया गया, बच्चों की माता एवं परिवार के साथ बातचीत कर उन्हें समझाया गया। घर पर बच्चों का सम्पूर्ण आहार बनाने के लिए तिरंगा भोजन (तीन रंग का भोजन) जिसमें सफ़ेद यानी अनाज व पिला जिसमें

दाल और हरा जिसमें हरी सब्जियाँ शामिल हो इस तह के भोजन को रोजाना बच्चों को खिलाना जरूरी है जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से हो सके। जिसका एक बार फिर कुशलगढ़ तहसील के 158 गाँवों में इस माह स्क्रीनिंग कर सर्वे किया गया। जिससे 4045 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों में से 3649 बच्चों की स्थिति का आंकलन किया गया एवं 396 बच्चों अनुपस्थित होने के कारण स्क्रीनिंग नहीं हुई। 150 गाँवों की प्रशिक्षित किशोरी बालिकाओं द्वारा गाँव की गर्भवती, धात्री एवं किशोरियों को पोषण एवं स्वास्थ्य की जानकारी साझा की गई। साथ ही वाग्धारा पोषण चैम्पियन द्वारा बांसवाडा जिले के सभी 2119 आंगनवाड़ी का दौरा कर गर्भवती, धात्री, एवं उनकी सास व परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण परामर्श दिया गया साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं ईदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए पात्र का पंजीकरण कर जोड़ा गया।

सच्ची खेती:- सच्ची खेती कार्यक्रम के तहत 349 सक्षम समूह की बैठक की गई। बैठक के दौरान बीज संरक्षण एवं बीज उपचार पर अभ्यास, अनुमानित उत्पादन, फसल की स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वर्तमान परिस्थिति में अधिक उत्पादन पैदावार के लिए समुदाय द्वारा रासायनिक खाद और दवाई व कीटनाशक का उपयोग ज्यादा किया जाने लगा है जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है जिसका उदाहरण कोरोना महामारी में देखने को मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्था द्वारा जैविक खेती जिसके अंतर्गत वर्मी खाद, कम्पोस्ट पीट व कीटनाशक हेतु दशपर्णी दवाई व बीज उपचार आदि पर जनजातीय समुदाय के 356 गाँवों में महिला किसानों का प्रत्येक गाँव में एक समूह बना हुआ है। उस समूह को हर माह प्रशिक्षित करना और उन महिलाओं के द्वारा गाँव और रिश्तेदारी में अन्य किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वाग्धारा संस्था द्वारा सच्ची खेती के अंतर्गत जैविक तरीकों से परम्परागत खेती को वापस बहाल करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे है तथा जैविक कीटनाशक, जैविक खाद इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण भी



दिया जा रहा है। इस माह में PGS जैविक ग्रुप की कुल 121 मीटिंग हुई है जिसमें जैविक कृषि संबंधी क्रियाकलाप के बारे में किसानों को जागृत किया गया है तथा जैविक कृषि पद्धति अपनाकर इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया गया है तथा अधिक से अधिक किसान जो जैविक कृषि में रुचि रखते हैं उन्हें कृषि की सभी जैविक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में इस माह तहसील स्तरीय जैव विविधता आंकलन शिविर आयोजित किये गए। शिविर के दौरान अनाज, देव अनाज, दाल, तिलहन, सब्जियाँ, फल, कन्द, मूत, वनोऔषधियाँ आदि का आंकलन किया गया। मध्यप्रदेश के बाजना JSS में जर्मनी से आये मैक्सी जी का सक्षम समूह की महिलाओं ने माता पहनाकर एवं परम्परागत पगड़ी बांध स्वागत किया और बाजना क्षेत्र में समुदाय आधारित बीज बैंक को देखा एवं संचालित कर रही हेवाडा गाँव की सक्षम समूह की महिलाओं से मैक्सी ने जाना कैसे बीज बैंक का संचालन वो कर रही है और किस तरह से बीज को सुरक्षित रखते है साथ ही केटेगरी -IV मनरेगा का कार्य भी देखा एवं हाल ही में जनजातीय संगठन बाजना के प्रयासों से खुली मंडी की भी विजिट की एवं गाँव शम्भुपुरा और ठीकरिया में विजिट की जिसमें वर्मी खाद, दशपर्णी दवाई, पोषण बगिया और CHC सेंटर ठीकरिया विजिट की और आशा द्वारा उपयोग की जा रही हेथेथ किट (थर्मो गन एवं ओक्सिमिटर संस्था द्वारा) से गाँव के फिक्तने लोग लाभान्वित हुए रजिस्टर देख कर जानकारी ली।

सोहन नाथ जोगी

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई हिरन, वाग्धारा

माही

!! सब ने मारू राम-राम !!

प्रिय संगठन के साथियों वाग्धारा द्वारा किये जा रहे प्रयास अब रंग लाने लगे है चाहे इसमें हम बहनों के साथ में पारंपरिक खेती की बात करे या ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के ग्राम विकास एवं बच्चों के हितो की बात करे या फिर हमारे संगठनो के साथ में स्थानीय मुद्दों की बात करे तो कही ना कही अब इसकी समझ हमारे अन्दर बनना शुरू हुई है और संगठन ने अपने स्तर पर पारंपरिक खेती,अपने अधिकार,गाँव के विकास पर आपसी संवाद करना शुरू किया, जो मुझे लगता है की आगामी समय में संगठन अपना एक नया युगम स्थापित जरूर करेंगे। इस बार पत्रिका के माध्यम से आपको सन्देश है की साथियों हमने अक्टूबर माह में ग्राम विकास योजना के तहत अपने एवं अपने गाँव की विकास योजनाओ के लिए संगठन ने अपने नरेगा परियोजना के तहत ग्राम सभा में कार्ययोजना सम्मिलित/अनुमोदन करवाई थी, जिसमें हमारे संगठनो को एक बार पुनः इसका लेखा लेना होगा ताकि हम इस पर संगठनो के माध्यम से आगे बढ़े। अपने माही ईकाई (चाटोल,पीपलखूंट,आसपुर एवं साबला) में हमने तीनों विषय(खेती,स्वराज,बचपन) आधारित निम्न कार्य किये है...

सच्चा स्वराज - साथियों इस बार प्रशासन गाँवो के संग में हमारे संगठनो ने विशेष जोर लगाते हुए 86 वंचित अनाथ बच्चों को पालनहार से योजना से, 45 विधवाओं को विधवा पेंशन योजना एवं 337 लोगो को वृद्धा पेंशन योजनाओं से जोड़कर से लाभ पहुंचाया, जो मेरे दृष्टिकोण से काफी सराहनीय प्रयास है जो स्पष्ट रूप से संगठनो ने आगे आ कर किये है साथियों संगठनो ने जिस प्रकार गाँव गाँव में लोगो का चिन्हीकरण कर यह प्रयास किया और सफरता प्राप्त की है उम्मीद है यही क्रम हमारे संगठन जारी रखेंगे एवं आने वाले समय में हर वंचित वर्ग को योजनाओ का लाभ पहुंचाएंगे। इस माह में संगठन के सदस्य एवं पदाधिकारियों ने ग्राम स्तर पर ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति, सक्षम समूह के साथ भी संगठन को मजबूत करने के लिए स्वराज मित्रो के साथ में बैठको में भाग लिया और समूह में अपना ब्यौरा दिया जो काफी सकारत्मक है। इस बार सभी संगठन मिलकर ग्राम सभा में रखे प्रस्ताव का लेखा लेंगे ताकि संगठन आगामी माह की कार्ययोजना बना सके। साथियों आगामी माह में हमे IDF की त्रैमासिक बैठक का भी चारो खंड में आयोजन करना है जो की आने वाले वर्ष के लिए समुदाय हित हेतु काफी उपयोगी रहेगी।

सच्चा बचपन - बाल अधिकार को समझने के लिए गाँव स्तर पर गतिविधियाँ एवं बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर की बाल पंचायत के साथ बाल अधिकार सप्ताह महोत्सव मनाया गया और हर बाल पंचायत की बैठक में बच्चों के अधिकारों पर बात की गई। बाल पंचायत ने अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश शुरू की है जिसमें 12 बाल पंचायत के बच्चों ने खेल मैदान के लिए ग्राम सभा में ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के साथ मिलकर गाँव में खेल मैदान के लिए प्रस्ताव रखा है जिससे हम अनुमान लगा सकते है की बच्चों को योजनाओ की समझ बनने लगी है और आने वाले समय में बच्चे अपने अधिकारों की बात बड़े मंच पर करने के साथ ही इनके भविष्य को सही दिशा में ले जा सकते है। आप विभिन्न संगठनो से भी अनुरोध है कि अपने बाल पंचायतों का समर्थन एवं समय समय पर मार्गदर्शन करते हुए इनको सफलतम बाल पंचायत बनाए ताकि हमें बच्चों



के सम्बन्ध में एक सक्षम बाल समूह हमारे गाँव में दिखे जिससे हम बच्चों के सम्बन्ध में सीधा संवाद कर सके। साथियों इसके साथ ही अगस्त माह में एक शानदार आयोजन पोषण स्वराज अभियान को हमे नहीं भूलना चाहिए जिसमे हमारे माही में 258 गाँवों में बड़ी संख्या में 2460 बच्चे कुपोषित एवं 1025 अतिकुपोषित बच्चे निकल कर आए थे परन्तु कैप के समापन तक हमारे एवं आपके प्रयास से 38.6 प्रतिशत बच्चे सामान्य अवस्था में भी लोटे। साथियों बाकी के बच्चे अभी पोषण स्वराज अभियान के तहत किए गए कार्यक्रमों को अपने घर पर दोहरा रहे है परन्तु हमारी जिम्मेदारी बनती है की हम भी इसको नियमित रूप से देखते रहे और सामान्य अवस्था में लाने की व्यवस्था करे। इसके लिए आपके अपने संगठन की टीमें अभी एक बार पुनः स्क्रीनिंग भी कर रही है तो उनसे भी हम संपर्क कर सकते है और एक आने वाले भविष्य को बचा सकते है.....

सच्ची खेती - मेरे सक्षम समूह की बहनों एवं साथ ही खेती से जुड़े किसानो जैसा कि हम सब एक साथ मिल कर कार्य करते है, पुरातन संस्कृति अनुसार हम जब कोई कार्य करते थे तो सब एक साथ अनाज को एकत्रित करते थे और अपने गाँव के कार्यों को जैसे - शादी, समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों आदि को सम्पन्न करते थे। उसी प्रकार हम हमारी पुरातन प्रथा एक घर, एक पाली दाणा,को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे है। क्या हम जनजातीय स्वराज संगठन के माध्यम से इसे जीवित कर सकते है, गाँव के प्रत्येक घर से एक किलो के अंदाज में से गेहूँ,मक्का इत्यादि एकत्रित करे जो की हमारे जनजातीय विकास के लिए उपयोग में लिया जाये ताकि हम इस अनाज को अपना परम्परागत दाणा सुरक्षित रख कर पुनः बीज के रूप में काम लेना, विकट परिस्थितियों में समाज की मदद करना, विकास मंच के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक पाली दाणा के माध्यम से मदद पहुंचाना,मंच की गतिविधियों में सहयोग करना,मंच के द्वारा समुदाय के लिए योजनाओ की जमीनी स्तर पर जानकारी देने के लिये दस्तावेजीकरण हेतु, समुदाय में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए संसाधनों के उपयोग हेतु, समाज हित में समय समय पर शिविर,कैप का आयोजन करना, ग्राम स्तर,ब्लॉक स्तर,और जिला स्तर पर समुदाय विकास हेतु समय समय पर आवागमन एवं अन्य कार्य हेतु एवं विकास मंच के माध्यम से वार्षिक समागम के आयोजन हेतु उपयोग में ले सके।

इस बार हमारी सक्षम समूह की बहनों ने रबी के लिए बीज के उपचार हेतु देशी तरीके से बीज उपचार और फसल की बढवार के लिए जीवामृत भी 122 गाँवों में बनाया गया। जिससे एक बार लगता है की हमारे समुदाय या किसान बहनों का रुझान अब पारम्परिक खेती के लिए बढ़ रहा है हम अब ये भी उम्मीद लगा के बैठे है की आने वाला समय खेती के लिए एक बार पुन पारंपरिक आयाम को जोड़ेगा और साथ ही ये केवल और केवल सक्षम समूह की बहनों तक सीमित नहीं रहेगा....

वैक्सिन अचानक से कोई जादू नहीं कर देगा मास्क पहनना और आपस में दुरी रखना भी जरूरी होगा.....

हेमन्त आचार्य
जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई माही, वाग्धारा



मानगढ़

!! हेता वागड़ वासीयो ने जय गुरु !!

समुदाय के मेरे सभी साथियों एवं 'वातें वाग्धारा नी' के सभी पाठकों को मेरी ओर से जय गुरु, आशा है की आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। बुवाई का मौसम अब लागूगम खत्म होने वाला है और मुझे आशा है की हमारे किसान भाइयों ने लागभग बुवाई कर ली होगी। बहुत से किसान भाइयों ने तो अभी तक एक से दो बार चने की भाजी खा भी ली होगी। बीच में लागभग थोड़ी बारिश ने भी हमारे किसान भाइयों का इस बार साथ दिया है और गेहूँ के लिए पर्याप्त नमी प्रदान कर दी है तो मुझे आशा है की इस बार अच्छी फसल हमे देखने को मिलेगी। यह माह त्योहारों भरा था और सभी ने अपने अपने तरीकों से त्योहारों को मनाया चाहे वो दिवाली का पर्व हो, देव दिवाली हो या चौथ सभी ने पर्वों को अपने तरीके से मनाया। त्योहारों के कारण हम ज्यादा कार्य इस माह नहीं कर पाए पर कुछ प्रमुख गतिविधि हमने की है और आपके साथ हर माह की तरह साझा करना चाहते है।

सामुदायिक बीज बैंक का निर्माण : जैसा की हम लगातार बीज को लेकर समुदाय में बात कर रहे है और हमारा केंद्र बिंदु यही रहा है की समुदाय खुद के बीज का संरक्षण करना सिख जाए और बीज के लिए बाजार पर निर्भरता छोड़ दे तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने ग्राम गडुली में समुदायिक बीज संरक्षण केंद्र बनाने का प्रयास शुरू किया है जिससे की जरूरत पड़ने पर किसान भाई आपस में ही बीज का आदान प्रदान करना शुरू कर देवे और बाजार पर अपनी निर्भरता को थोडा कम कर पाए। हमारे सक्षम समूह की महिलाओं ने इसका जिम्मा उठाया है और ये छोटी सी पहल की है, और परिणाम मिलने पर हम चाहते है की अन्य गाँव में भी इस तरह की पहल करे ताकि सच्ची खेती को जो हम बातें करते है वो सफल हो पाए।

1.विश्व बाल अधिकार सप्ताह महोत्सव का आयोजन : विश्व बाल अधिकार सप्ताह जो की 14 नवम्बर से शुरू होता है और पूरे एक सप्ताह तक चलता है इसका आयोजन हमारे द्वारा किया गया। इस सप्ताह का महत्व बहुत अधिक है इसे मनाने का उद्देश्य ही यही

है की बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में पता हो। बच्चों के जो मूलतः 4 अधिकार है - जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकार इन अधिकारों का कहीं कहीं हनन होता है इसलिए यह पूरा सप्ताह बच्चों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने के लिए बनाया गया है और सभी स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थान इसको मानते है, क्योंकि वाग्धारा बच्चों के अधिकारों और उनके विकास लिए लिए कार्य करती है इसलिए हमने भी बच्चों के साथ मिलकर पूरे सप्ताह इसका आयोजन किया और उनके साथ अनेकों गतिविधियों भी की जिससे वो अपने अधिकारों के बारे ज्यादा अच्छे से समझ पाए। समुदाय के कुछ लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया पर हम आशा करते है की अगले वर्ष हमारे बदले समुदाय हमारी भूमिका में रहे तभी जाकर बच्चों का विकास सही ढंग से होगा क्योंकि जब समुदाय उनके अधिकारों को समझ पायेगा और उसे गंभीरता से लेगा तब जाकर बच्चों को उनके अधिकार मिलेंगे।

2. संविधान दिवस का आयोजन : 26 नवम्बर 1949 को हमारा संविधान लिखा गया था और यह ऐसा संविधान था जिसको आज भी दुनिया के कई देश सराहते है इस संविधान के चलते आज हमारा देश विकासशील देशों की सूची में आता है और लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा है, इसी संविधान के चलते आज इस देश में सभी नागरिक एक समान देखे जाते है और सभी को उनका मौलिक अधिकार मिलता है, हमारा संगठन भी इसी संविधान के तहत कार्य करता है और इसलिए हमारे संगठन के सदस्य एवं समुदाय के लोगों ने इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाया। गाँव में लोगों ने दीप जलाकर इसे मनाया साथ ही हमारे संगठन के सदस्यों ने इस दिन डॉ. अम्बेडकर को याद किया एवं संविधान को मानने की शपथ ली और रेली के द्वारा अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया।

रोहित सिन्ध

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई मानगढ़, वाग्धारा



